in Gujarat, Maharashtra, Goa and Lakshadweep.

(d) Question`does not arise.

भ्रष्टाचार का उन्मूलन

2527.**चौधरी हरमोहन सिंह यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (श्री आर,जनार्दन): (क) से (ग) सरकार स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के प्रति प्रतिबद्व है । लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया अभियान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । इस संबंध में,बनाई गई नीतियों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है । ताकि इन्हें बदलते परिवेश के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावोत्पादक,संवदेशील और उत्तरकारी बनाया जा सके । सचिव और विभागध्यक्ष अपने-अपने मंत्रालय विभाग में भ्रष्टचार की रोकथाम (करने) के लिए जिम्मेदार होते हैं । कार्मिक लोग शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के अलावा,केन्द्रीय सतर्कता आयोग,केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों,और मंत्रालयों/विभागों में आंतरिक सतर्कता-तंत्र ऐसे अभिकल रण (एजेसियां) है जो इस कार्य में संलग्र हैं ।

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग का प्रशासनिक सतर्कता-प्रभाग,जहां कहीं अपेक्षित हो,आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता देने के अलावा मंत्रालयों/विभाल गों द्वारा सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोधी क्षेत्र में किए गए उपायों संबंधी प्रयासों को समन्वित करता है । कार्मिक,लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य-योजनाएं तैयार की जाती है,जो निवारण,निगरानी और सुरागरसानी तथा दंडात्मक निवारक कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टचार की रोकथाम में सहायता करती हैं । ये योजनाएं संबंधिम मंत्रालयों/विभाल गों द्वारा कार्यान्वित की जाती है । यह काय्र आरम्भिक तौर पर,वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था और इसे वार्षिक आधार पर जारी रखा जा रहा हैं । सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की दृष्टि से,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मूलत: 1947 में अधिनियमित किया गया था । यह अधिनियम,भ्रष्टाचार निवारण-अधिनियम,1988 को पुन: अधिनियमित करने की पहले की अपेक्षा और ज्यादा सशक्त बना दिया गया है,फलत: यह अब अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हो गया हैं । वर्ष,1988 के नये अधिनियम में निम्रलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(क) "लोक सेवक" शब्द की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करके इसमें,कृषि,उद्योग,व्यापार अथवा बैंकिग आदि से संबंद्व पंजीकृत सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का शामिल किया जाना;

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु विशेष-न्यायालय स्थापित किए जाने संबंधी उपबंध का अन्त:स्थापित किया जाना ।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 के तहत अपराधा का अन्त:स्थापित किया जाना,और

(घ) "आय के ज्ञात स्रोत" जिसका अभिप्राय आय के केवल विधिसम्मत स्रोत से हैं शब्द की परिभाषा का अन्त:स्थापित किया जाना

इसके अतिरिक्त लोक-सेवकों की सेवा-शर्तो को नियंत्रित करने वाले विभिन्न आचरण-नियमों द्वारा सम्पक रूप से समर्थित,निवारक उपाय,भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निवारक का भी कार्य करते हैं । उच्च लोक-कृत्यकालरियों के विरूद्व भ्रष्टचार के आरोपों की जांच-पड़ताल करने के लिए लोकपाल संस्था का स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित हैं ।

News-Item Captioned "Enhanced Dues a Mirage for Pensioners"

2528. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan times, dated 21st April, 1998 captioned "Enhanced dues a mirage for pensioners";

(b) if so, the details thereof; and

(c) what concrete steps Government have taken, so far, to ensure that no Central Government pensioner is